



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06072026-274199
CG-MH-E-06072026-274199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 01 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2026/306.— बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68(2)(च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम 1 अगस्त, 2026 को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 4 में,-

(i) उप-विनियम (iv) में, खंड (ख) में,

क. उप-खंड (i) में, चिह्न “,” के बाद शब्द “और” आ जाएगा;

ख. उप-खंड (ii) में,-

i. शब्दों “के माध्यम से” के स्थान पर शब्द “के जरिए” आ जाएंगे;

ii. चिह्न “;” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

ग. दूसरे परंतुक में, अंकों, शब्दों तथा चिह्न “1 अप्रैल, 2025 से” के बाद अंक, शब्द तथा चिह्न “31 जुलाई, 2026 तक” जोड़े जाएंगे;

घ. दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित तीसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2026 से, अगर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ओपन मार्केट (खुले बाजार) से कोई बाय-बैक किया जाएगा, तो उसकी रकम, कंपनी के अकेले के (एकल / स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों और सबके मिलाकर तैयार किए गए (समेकित / कन्सॉलिडेटेड) वित्तीय विवरणों दोनों के आधार पर, कंपनी की पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूंजी) और फ्री रिज़र्व्स (खुली आरक्षितियों) के पंद्रह प्रतिशत से कम होगी।”

(ii) उप-विनियम (vii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा,-

“(vii) अगर कंपनी पिछली बार कोई बाय-बैक का प्रस्ताव (ऑफर) लाई हो, तो उसकी अवधि समाप्त होने की तारीख से उतनी अवधि तक बाय-बैक का कोई प्रस्ताव नहीं लाएगी, जितनी अवधि का जिक्र कंपनी अधिनियम, 2013 में है।”

(iii) उप-विनियम (x) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(xi) कंपनी शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) के बाय-बैक का कोई ऐसा प्रस्ताव (ऑफर) नहीं लाएगी, जिससे कि आम शेयरधारकों के पास कम से कम कितने शेयर होने चाहिए (मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग / न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता) इसके संबंध में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में दिए हुए प्रावधानों का उल्लंघन हो जाए।”

II. विनियम 8(i) में,-

(i) शब्द “निम्नलिखित, के स्थान पर शब्द “नीचे बताए गए” आ जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, शब्दों “प्रकट की गई” के स्थान पर, शब्द “दी गई” आ जाएंगे;

(iii) खंड (कक) में, शब्द “सभी” के स्थान पर शब्द “समस्त” आ जाएगा;

III. विनियम 9(xi) में,-

(i) खंड (ग) में, -

क. शब्दों “निर्धारित किया जाए” के स्थान पर शब्द “बताया जाए” आ जाएंगे;

ख. स्पष्टीकरण में, शब्दों “उपलब्ध रहे” के बाद चिह्न “,” जोड़ा जाएगा;

(ii) खंड (घ) में, शब्दों “विनियमों में उल्लेख है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में जिक्र किया गया है” आ जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) में,-

क. शब्दों “निलंब खाता बैंक गारंटी से बना” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “एस्क्रो अकाउंट (निलंब खाते) में बैंक गारंटी ही हो” आ जाएंगे;

ख. शब्दों तथा चिह्नों “मर्चेट बैंककार (बैंकर) के पक्ष में होगी” के स्थान पर शब्द “मर्चेट बैंकर के पक्ष में बनाई जाएगी” आ जाएंगे;

ग. शब्दों तथा चिह्न “की अवधि के समाप्त होने के बाद तीस कार्य-दिवसों तक या” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद से” आ जाएंगे;

घ. शब्दों तथा चिह्नों “इन विनियमों के तहत सभी बाध्यताओं को पूरा किए जाने तक (जो भी बाद में हो)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “या इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत समस्त दायित्व पूरे कर लिए जाने की तारीख के बाद से (जो भी बाद की हो) तीस कार्य-दिवसों तक” आ जाएंगे;

ङ. स्पष्टीकरण में,-

i. शब्दों तथा चिह्नों “मर्चेट बैंककार (बैंकर)” के स्थान पर शब्द “मर्चेट बैंकर” आ जाएंगे;

ii. शब्दों “इन विनियमों के तहत सभी बाध्यताएँ पूरी न हो जाएँ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताए गए समस्त दायित्व पूरे न हो जाएँ” आ जाएंगे;

(iv) खंड (च) में, -

क. शब्दों तथा चिह्नों “यदि निलंब खाता प्रतिभूतियों से बना हो, तो कंपनी मर्चेट बैंककार (बैंकर) को” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि एस्क्रो अकाउंट (निलंब खाते) में शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) पड़े हों, तो ऐसे में कंपनी मर्चेट बैंकर को” आ जाएंगे;

ख. शब्दों तथा चिह्न “बिक्री आदि करके या अन्य तरीके से ऐसे निलंब खाते का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी और यदि प्रतिभूतियों के मूल्य को प्राप्त करने में कोई कमी रह जाती हो, तो ऐसी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “वे शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) बेचकर या किसी अन्य तरीके से कीमत वसूलने का अधिकार प्रदान करेगी, और अगर उन शेयरों आदि को बेचकर भी पूरा पैसा न वसूला जा सके, तो ऐसे में” आ जाएंगे;

ग. शब्दों तथा चिह्नों “कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी मर्चेट बैंककार (बैंकर) पर होगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी मर्चेट बैंकर की होगी” आ जाएंगे;

(v) खंड (छ) में, -

क. शब्दों तथा चिह्नों “यदि निलंब खाता मंजूर प्रतिभूतियों से बना हो, तो उन्हें मर्चेट बैंककार (बैंकर)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि एस्करो अकाउंट (निलंब खाते) में मंजूर किए गए शेयर आदि (सिक्क्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) हों, तो मर्चेट बैंकर उन शेयरों आदि को” आ जाएंगे;

ख. शब्दों तथा चिह्नों “द्वारा तब तक नहीं लौटाया जाएगा, जब तक” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “तब तक नहीं लौटाएगा, जब तक कि” आ जाएंगे;

ग. शब्दों “विनियमों के तहत सभी बाध्यताएँ पूरी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताए गए समस्त दायित्व पूरे” आ जाएंगे;

IV. विनियम 11 में,-

(i) उप-विनियम (i) में, शब्दों तथा चिह्नों “क्रय द्वारा वापस लिए गए (बाय-बैक किए गए) प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जिन शेयरों आदि [सिक्क्यूरिटीज़ सर्टिफिकेट्स (प्रतिभूति प्रमाणपत्रों)] का बाय-बैक किया गया हो उन्हें” आ जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (iii) में, शब्द “जिसे” से पहले दिया हुआ शब्द “और” हट जाएगा;

V. विनियम 16 में,-

(i) शीर्षक में, शब्दों “क्रय द्वारा वापस लेना” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बाय-बैक (क्रय द्वारा वापस लेना)” आ जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (i) का स्पष्टीकरण हट जाएगा;

(iii) उप-विनियम (iv) में,-

क. शब्दों तथा चिह्नों “प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जानकारी आदि दिए जाने (डिस्क्लोज़र किए जाने)” आ जाएंगे;

ख. खंड (क) में, शब्दों “का प्रस्ताव” के स्थान पर शब्द “के प्रस्ताव” आ जाएंगे;

ग. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा,-

“(ख) सार्वजनिक घोषणा, यथास्थिति, निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड / बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स) द्वारा संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित किए जाने की तारीख से या विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) हेतु पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए कराए गए मतदान के नतीजे घोषित किए जाने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर की जाएगी, और जिसमें वह समस्त जानकारी देनी होगी (वे समस्त डिस्क्लोज़र करने होंगे) जिनका जिक्र अनुसूची-IV में किया गया है;”

घ. खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(खक) कंपनी, सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, ओपन मार्केट (खुले बाजार) के जरिए लाए जा रहे बाय-बैक के प्रस्ताव (ऑफर) की सूचना उन व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगी, जो सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख को उसके शेयरधारक (शेयरहोल्डर) हों;”

ड. खंड (गख) में, शब्दों “के संबंधित” के स्थान पर शब्द “की संबंधित” आ जाएंगे.

VI. विनियम 17 में,-

(i) उप-विनियम (i) हट जाएगा;

(ii) उप-विनियम (ii) के परंतुक में, अंकों, शब्द तथा चिह्न “31 मार्च, 2025” के बाद शब्द, अंक तथा चिह्न “को या उससे पहले किसी तारीख से 31 जुलाई, 2026” जोड़े जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (ii) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) 1 अगस्त, 2026 से, बाय-बैक का प्रस्ताव (ऑफर) सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से चार कार्य-दिवसों के भीतर खोलना होगा और ऑफर खोले जाने की तारीख से छियासठ कार्य-दिवसों के भीतर बंद करना होगा।”

VII. विनियम 20 में,-p

(i) उप-विनियम (ii) में,-

क. शब्दों “निलंब खाते” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “एस्करो अकाउंट (निलंब खाते)” आ जाएंगे;

ख. शब्दों “के रूप में हो सकेगा” जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द “के रूप में होगा” आ जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (iii) में, शब्दों “निलंब खाते” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “एस्करो अकाउंट (निलंब खाते)” आ जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (iv) में,-

क. शब्दों “निलंब खाते” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “एस्करो अकाउंट (निलंब खाते)” आ जाएंगे;

ख. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा,-

“क) ऐसी बैंक गारंटी मर्चेट बैंकर के पक्ष में बनाई जाएगी, और जो बाय-बैक के ऑफर की अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद से या इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत समस्त दायित्व पूरे कर लिए जाने की तारीख के बाद से (जो भी बाद की हो) तीस कार्य-दिवसों तक मान्य रहेगी।”

ग. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा,-

“ख) बैंक गारंटी मर्चेट बैंकर द्वारा तब तक नहीं लौटाई जाएगी, जब तक इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताए गए समस्त दायित्व पूरे न हो जाएँ;

(iv) उप-विनियम (viii) में,-

क. खंड (क) में, शब्दों “अधिक रही हो” के स्थान पर शब्द “अधिक हो” आ जाएंगे;

ख. खंड (ख) में, शब्दों “नहीं डाले गए” स्थान पर शब्द “न डाले गए हों” आ जाएगा;

VIII. विनियम 21(iii) में,-

(i) शब्दों तथा चिह्नों “कंपनी ने जिस महीने के दौरान इस तरह से प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को क्रय द्वारा वापस लिया हो उन्हें, मर्चेट बैंककार (बैंकर)” के स्थान पर शब्द तथा

चिह्न “जिस महीने जिन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) को बाय-बैक किया गया हो, उनके प्रमाणपत्रों को उस महीने के अगले महीने के पंद्रहवें दिन तक कंपनी मर्चेट बैंकर” आ जाएंगे;

- (ii) शब्दों तथा चिह्नों “और सेक्रेटेरियल ऑडिटर की मौजूदगी में, अगले महीने के पंद्रहवें दिन तक नष्ट आदि करेगी:” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “और सेक्रेटेरियल ऑडिटर की मौजूदगी में नष्ट करवाएगी:” आ जाएंगे;

IX. विनियम 22क में,-

- (i) उप-विनियम (i) में, शब्दों “संकल्प के अनुसार” बाद शब्द “विधिवत रूप से” जोड़े जाएंगे;

- (ii) उप-विनियम (iv) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(v) कंपनी, सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, ओपन मार्केट (खुले बाजार) के जरिए लाए जा रहे बाय-बैक के प्रस्ताव (ऑफर) की सूचना उन व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगी, जो सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख को उसके शेयरधारक (शेयरहोल्डर) हों।”

X. विनियम 24 में,-

- (i) शीर्षक में, शब्दों “क्रय द्वारा वापस लेने की समस्त प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की बाध्यताएँ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बाय-बैक की समस्त प्रक्रियाओं के संबंध में कंपनी के दायित्व” आ जाएंगे;

- (ii) उप-विनियम (i) में, खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“डक) i. जो शेयर या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) प्रोमोटर (प्रोमोर्टर्स) [संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)] और प्रोमोटर ग्रुप (संप्रवर्तक समूह) [जिनमें उनके सहयोगी (असोसिएट्स) भी शामिल हैं] के नाम पर हों, और जिनका बाय-बैक किया जा रहा हो, उन पर, यथास्थिति, निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड / बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स) द्वारा संकल्प (रेज़ॉल्यूशन) पारित किए जाने की तारीख से या विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ॉल्यूशन) पारित किए जाने की तारीख से प्रस्ताव (ऑफर) के बंद होने की तारीख तक, उनके आई.एस.आई.एन. (इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज़ आईडेंटिफिकेशन नंबर / अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या) के अनुसार, रोक लगी रहेगी (वे फ्रीज़ रहेंगे)।

- ii. यदि बाय-बैक शेयर सौंपने का प्रस्ताव लाकर (टेंडर ऑफर के माध्यम से) किया जा रहा हो, तो ऐसे में बाय-बैक के प्रस्ताव (ऑफर) के तहत शेयर या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) पर इस तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी।

- iii. जिन शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों पर ऋण-भार (इनकम्ब्रेंस) बाय-बैक की अवधि शुरू होने से पहले ही लग चुका हो और इस प्रकार लगे ऋण-भार (इनकम्ब्रेंस) को लागू भी कराया जा चुका हो, तो ऐसे में उन शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों के ट्रांसफर की अनुमति तो होगी लेकिन वे शेयर या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियाँ पहले की तरह फ्रीज़ रहेंगी, हालाँकि इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन तो करना ही होगा।

- (iv) कंपनी इस प्रकार शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों पर रोक लगाने (को फ्रीज़ करने) के लिए डिपॉज़िटरीज़ (निक्षेपागारों) को जरूरी अनुदेश देगी।”

XI. मौजूद विनियम 24 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“कंपनी को मर्चेट बैंकर की सेवाएँ न लेने का विकल्प:

24क. (1) इन विनियमों में जो कुछ भी बताया गया है उसके बावजूद, कंपनी ही यह तय करेगी कि उसे इन विनियमों के तहत शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) का बाय-बैक करने के लिए मर्चेट बैंकर की सेवाएँ लेनी हैं या नहीं।

(2) यदि कंपनी मर्चेट बैंकर को नियुक्त नहीं करती है, तो ऐसे में कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगी कि नीचे दी हुई सारणी के कॉलम-4 में जिनका जिक्र है, वे मर्चेट बैंकर के दायित्व निभाएँ:

क्र. सं. (1)	फिलहाल मर्चेट बैंकर द्वारा किए जाने वाले कार्य / निभाई जाने वाली जिम्मेदारियाँ (2)	संबंधित विनियम (3)	मर्चेट बैंकर की जगह इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए (4)
1.	इन विनियमों के अनुसार प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल करना और सार्वजनिक घोषणा करना (फीस जमा कराना भी), और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उनमें सही एवं पूरी-पूरी जानकारी दी जाए।	8(i)(क), 16(iv)(क), 22क, 25(iv), 25(v), 25(vii) और अनुसूची-V	कंपनी
2.	यह प्रमाणित करना कि बाय-बैक का प्रस्ताव (ऑफर) इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लाया जा रहा है और इस बात का प्रमाणपत्र (ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट) भी प्रस्तुत करना कि पूरी सावधानी बरती गई है।	8(i)(कक) और 25(vi)	सेक्रेटेरियल ऑडिटर
3.	एस्क्रो अकाउंट्स पर नज़र रखना और इनका संचालन करना, जिनमें शामिल हैं - बैंक गारंटी, कैश डिपॉजिट, मंजूर किए गए शेयर आदि (अप्रूव्ड सिक्यूरिटीज़), एस्क्रो अकाउंट्स से पैसा निकालने के अधिकार आदि, और सेबी द्वारा जब्ती हेतु जारी किए गए निर्देशों का पालन करना।	9(xi)(ग)(ii), 9(xi)(घ), 9(xi)(ङ), 9(xi)(च), 9(xi)(छ), 20(ii)(ख), 20(ii)(ग), 20(iii), 20(iv)(क), 20(iv)(ख), 20(viii), 25(ii), 25(ix)	लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर)
4.	यह प्रमाणित करना कि पर्याप्त संख्या में बिक्री के आदेश डाले गए हैं और शेयरों या दूसरी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) की निकाली गई वी.डब्ल्यू.ए.पी. सही है	20(viii)(क) और 20(viii)(ख)	स्टॉक एक्सचेंज
5.	ओपन मार्केट के जरिए किए जाने वाले बाय-बैक के मामले में शेयरों आदि को नष्ट करते समय मौजूद रहना	21(iii)	कम्प्लायंस ऑफिसर (अनुपालन अधिकारी)
6.	यह प्रमाणित करना / यह पुष्टि करना कि शेयरों आदि को नष्ट कर दिया गया है	11(iii)(क)	कम्प्लायंस ऑफिसर (अनुपालन अधिकारी)

क्र. सं. (1)	फिलहाल मर्चेट बैंकर द्वारा किए जाने वाले कार्य / निभाई जाने वाली जिम्मेदारियाँ (2)	संबंधित विनियम (3)	मर्चेट बैंकर की जगह इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए (4)
7.	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना	25(x)	कंपनी
8.	यह सुनिश्चित करना कि बाय-बैक करने के लिए पैसों की कमी न हो और उसके लिए पक्के इंतजाम भी कर लिए गए हैं	विनियम 9(xi)(ग)(ii) का स्पष्टीकरण, 25(i) और 25(iii)	कंपनी
9.	कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों का पालन	25(viii)	कंपनी

”

XII. अनुसूची-V में, अंक, चिह्न तथा अक्षर “8(i)(ग),” और शब्द, अंक तथा चिह्न “और 22(iv)” हट जाएंगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./193/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32) 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 20 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/210) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2026/306.— In exercise of the powers conferred by sections 11 (1) and (2) and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 68(2)(f) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely:-

- These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2026.
- They shall come into force on August 1, 2026.
- In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, -
 - in regulation 4, -
 - in sub-regulation (iv), in clause (b), -
 - in sub-clause (i), after the symbol “,” the word “and” shall be inserted;

- b. in sub-clause (ii), -
 - i. before the words “stock exchange”, the word “the” shall be inserted;
 - ii. the symbol “;” appearing after the words “stock exchange”, shall be substituted with the symbol “:”;
- c. in the second proviso, after the word, symbol and numerals “April 1, 2025”, the words, symbol and numerals “till July 31, 2026” shall be inserted;
- d. after the second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely, -

“Provided further that with effect from August 1, 2026, the buy-back from the open market through the stock exchange shall be less than fifteen per cent of the paid up capital and free reserves of the company, based on both standalone and consolidated financial statements of the company.”
- (ii) sub-regulation (vii) shall be substituted with the following sub-regulation, -

“(vii) A company shall not make any offer of buy-back within such period as may be prescribed under the Companies Act, 2013, from the date of closure of the preceding offer of buy-back, if any.”
- (iii) after sub-regulation (x), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(xi) A company shall not propose any offer of buy-back of shares or other specified securities that results in the breach of the minimum public shareholding requirements prescribed under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 or specified under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.”
- II. in regulation 8(i), -
 - (i) after the word “shall”, the symbol “,” shall be inserted;
 - (ii) in clause (a), after the word “containing”, the word “the” shall be inserted;
 - (iii) in clause (aa), after the word “information”, the word “as” shall be inserted.
- III. in regulation 9(xi), -
 - (i) in clause (c), -
 - a. the word “appropriate” shall be omitted;
 - b. in the Explanation, after the word “making”, the word “the” shall be inserted;
 - (ii) in clause (d), after the word “payment”, the word “of” shall be inserted;
 - (iii) in clause (e), -
 - a. after the word “such”, the word “a” shall be inserted;
 - b. after the word “be”, the word “made” shall be inserted;
 - c. the word “until” appearing in two places therein shall be substituted with the word “till”;
 - d. after the word “obligations”, the words “as required” shall be inserted;
 - e. in the Explanation, -
 - i. the word “until” shall be substituted with the word “till”;
 - ii. after the word “obligations”, the word “specified” shall be inserted;
 - (iv) in clause (f), -
 - a. after the word “such” and before the word “escrow”, the word “an” shall be inserted;
 - b. the words “if there is” shall be substituted with the words “in case of”;
 - c. the word “on” shall be substituted with the words “upon the”;

- (v) in clause (g), -
 - a. the word “these” shall be substituted with the words “such securities”;
 - b. after the word “till”, the word “the” shall be inserted;
 - c. after the word “all”, the word “the” shall be inserted;
 - d. after the word “obligations”, the word “specified” shall be inserted.
- IV. in regulation 11, -
 - (i) in sub-regulation (i), after the words “bought back”, the symbol “,” shall be inserted;
 - (ii) in sub-regulation (iii), the word “and” appearing after the word and symbol “above,” shall be substituted with the words “that is”.
- V. in regulation 16, -
 - (i) in the marginal head, after the word “through”, the word “the” shall be inserted;
 - (ii) the Explanation to sub-regulation (i) shall be omitted;
 - (iii) in sub-regulation (iv), -
 - a. after the words “timelines of”, the word “the” shall be inserted;
 - b. in clause (a), after the words “pertaining to”, the word “the” shall be inserted;
 - c. clause (b) shall be substituted with the following clause, -

“(b) The public announcement shall be made within two working days from the date of passing of the resolution by the board of directors or the date of declaration of results of the postal ballot for special resolution, as the case may be, and shall contain the disclosures as specified in Schedule IV;”;
 - d. after clause (b), the following clause shall be inserted, namely, -

“(ba) The company shall, within one working day from the date of public announcement, send an intimation through electronic mode regarding the open market buy-back offer to those persons who were its shareholders as on the date of making the public announcement;
 - e. in clause (cb), the word “placed” shall be substituted with the word “hosted”.
- VI. In regulation 17, -
 - (i) sub-regulation (i) shall be omitted;
 - (ii) in the proviso to sub-regulation (ii), after the word, numerals and symbol “March 31, 2025”, the word, numerals and symbol “till July 31, 2026” shall be inserted;
 - (iii) after the sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(iii) With effect from August 1, 2026, the buy-back offer shall open within four working days from the date of the public announcement and close within sixty-six working days from the date of opening of the offer.”
- VII. in Regulation 20, -
 - (i) in sub-regulation (ii), -
 - a. the word “may” shall be substituted with the word “shall”;
 - b. the word “appropriate” shall be substituted with the word “the”;
 - (ii) in sub-regulation (iii), the word “as” shall be substituted with the word “that”;
 - (iii) in sub-regulation (iv), -
 - a. the word “as” shall be substituted with the word “that”;
 - b. clause (a) shall be substituted with the following clause, -

“(a) such bank guarantee shall be in favour of the merchant banker and be kept valid for a period of thirty working days after the expiry of the buyback period of the offer or

after the completion of all obligations specified under these regulations, whichever is later.”;

c. clause (b) shall be substituted with the following clause, -

“b) the bank guarantee shall be returned by the merchant banker only after completion of all obligations under the regulations.”;

(iv) in sub-regulation (viii), -

a. in clause (a), the word “was” shall be substituted with the word “is”;

b. in clause (b), the word “were” shall be substituted with the word “are”.

VIII. in regulation 21(iii), -

(i) the word “so” appearing after the word “certificate” shall be omitted;

(ii) the word “the” appearing after the word “during”, shall be substituted with the word “a”.

IX. in regulation 22A, -

(i) in sub-regulation (i), the words “which has been” shall be substituted with the word “duly”;

(ii) after sub-regulation (iv), the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(v) The company shall, within one working day from the date of public announcement, send an intimation through electronic mode regarding the open market buy-back offer to those persons who were its shareholders as on the date of making the public announcement.”

X. in regulation 24, -

(i) in the marginal head, the word “procedure” shall be substituted with the word “procedures”;

(ii) in sub-regulation (i), after the clause (e), the following clause shall be inserted, namely, -

“ea) i. the shares or other specified securities held by the promoter(s) and promoter group including their associates, for which buy-back is undertaken, shall remain frozen at the International Securities Identification Number (ISIN) level during the period from the date of passing of the resolution by the board of directors or the special resolution, as the case may be, till the closing of the offer.

ii. in case of buy-back through tender offer, such freeze shall not apply for the limited purpose of tendering shares or other specified securities in the buy-back offer.

iii. transfer of shares or other specified securities pursuant to invocation of encumbrances created prior to the commencement of buy-back period on such shares or other specified securities, may be allowed subject to the freeze on such shares or other specified securities continuing to apply pursuant to invocation of encumbrances, and also subject to the conditions as may be specified by the Board.

iv. the company shall provide necessary instructions to the depositories for giving effect to such freezing of shares or other specified securities.”

XI. after the existing regulation 24, following regulation shall be inserted, namely, -

“Option to company for not engaging merchant banker:

24A. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the requirement of engaging a merchant banker will be discretionary on part of the company undertaking buy-back of shares or other specified securities under these regulations.

(2) In case the company dispenses with the appointment of merchant banker, the company shall ensure that the following persons mentioned in column 4 of table below undertake the obligations which are otherwise required to be undertaken by the merchant banker:—

Sr. No. (1)	Activity / Responsibility (Presently Carried Out By Merchant Banker) (2)	Relevant Regulation(s) (3)	Assigned to (Where no Merchant Banker is appointed) (4)
1.	Filing of letter of Offer and Public Announcement along with Fees in accordance with the terms of the Regulations and ensuring that their contents are true, fair and adequate.	8(i)(a), 16(iv)(a), 22A, 25(iv), 25(v), 25(vii) and Schedule V	Company
2.	Certifying that the buy-back offer is complying with regulations and Due diligence certification	8(i)(aa) and 25(vi)	Secretarial Auditor
3.	Oversight and operation of escrow accounts including bank guarantees, cash deposits, approved securities, invocation rights and release of escrow account and forfeiture-related directions by SEBI.	9(xi)(c)(ii), 9(xi)(d), 9(xi)(e), 9(xi)(f), 9(xi)(g), 20(ii)(b), 20(ii)(c), 20(iii), 20(iv)(a), 20(iv)(b), 20(viii), 25(ii), 25(ix)	Statutory Auditor
4.	Certification relating to adequacy of sell orders and VWAP of shares or other specified securities	20(viii)(a) and 20(viii)(b)	Stock Exchanges
5.	Presence during extinguishment/destruction of securities in case of buy-back through open market	21(iii)	Compliance officer
6.	Certification/verification of compliance with extinguishment of securities	11(iii)(a)	Compliance officer
7.	Submission of final report	25(x)	Company
8.	Ensuring availability of funds and firm financial arrangements for implementation of the buy-back	Explanation to Regulation 9(xi)(c)(ii), 25(i) and 25(iii)	Company
9.	Compliance with relevant provisions of Companies Act, 2013	25(viii)	Company

XII. In Schedule V, the words, numerals and symbols “8(i)(c),” and “and 22(iv)” shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./193/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32, and was last amended on November 20, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/210.